अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

मुकुटबिहारी बनाम भैरूलाल वगै०

किस्म मुकदमा 88-89 RTA मिसल नम्बर 43/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.3.19	वाद वादी/वादनी मुकुटबिहारी की ओर से अभिभाषक श्री S.P. शर्मा द्वारा उपस्थिति होकर पेश किया । रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 19.3.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19/3/19	पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण एवं स्वयं वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 की ओर से प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शा0 मि0 किया। वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 ने उभयपक्ष अधिवक्ता की उपस्थिति में प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष ने कथन किये कि हम प्रतिवादीगण 2, 3, 4, 5 अपना हिस्सा वादीगण मुकुट बिहारी, हंसराज व प्रतिवादी नं0 1 भैरूलाल के पक्ष में हकत्याग करते है। उपरोक्त उनवान में विवादित आराजीयात कि ग्राम भौंरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 484 रकबा 0.13 हे0, ख0नं0 496 रकबा 0.85 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.98 हे0 भूमि, ग्राम ढाबा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 577 रकबा 0.19 हे0, ख0नं0 578 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 579 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 580 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 597 रकबा 0.06 हे0 कुल किता 5 रकबा 0.80 हे0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 को समभाग 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। ग्राम भौंरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 16 रकबा 0.39 हे0, ख0नं0 173 रकबा 1.49 हे0, ख0नं0 183 रकबा 0.78 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.66 हे0 भूमि में कस्तूरचन्द के हिस्से तक का वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 को समभाग में खातेदार घोषित किया जावें। (हस्ताक्षर)	वादीगण 1 मुकुटबिहारी 2 हंसराज प्रतिवादीगण 1 भैरूलाल 2. नि.अ. ...बाई 3. नि.अ. ... 4. रानी 5. सुनिताबाई Identified by (आर0के0 ...) Adv.

राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष ने सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये तथा वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जानें का निवेदन किया।

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर विवादित आराजी ग्राम भौंरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 484 रकबा 0.13 हे0, ख0नं0 496 रकबा 0.85 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.98 हे0 भूमि, ग्राम ढाबा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 577 रकबा 0.19 हे0, ख0नं0 578 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 579 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 580 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 597 रकबा 0.06 हे0 कुल किता 5 रकबा 0.80 हे0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 को समभाग 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार एवं ग्राम भौंरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 16 रकबा 0.39 हे0, ख0नं0 173 रकबा 1.49 हे0, ख0नं0 183 रकबा 0.78 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.66 हे0 भूमि में कस्तूरचन्द के हिस्से तक का वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 को समभाग में खातेदार घोषित किये जानें की रिलीफ चाही है।

उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा राजीनामा पर विधिक विचारण किया। विवादित आराजी वाके ग्राम डाबा खाता नं0 17 व ग्राम भौंरा खाता नं0 17 के वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित चले आ रहे है। इसी प्रकार ग्राम भौंरा के खाता नं0 18 में 1/2 हिस्से के वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 वर्तमान में खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चले आ रहे है। प्रतिवादी नं0 1 वादीगण का भाई, प्रतिवादी नं0 2 वादीगण की माता तथा प्रतिवादी नं0 3 लगायत 5 वादीगण की बहिने है। उपरोक्त विवादित आराजीयात् में वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 का समान हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार निहित है। प्रतिवादी नं0 2 लगायत 5 क्रमशः श्रवणी बाई बेवा कस्तूरचन्द, कौशल्या बाई पुत्री कस्तूरचन्द, रानीबाई पुत्री कस्तूरचन्द, सुनीताबाई पुत्री कस्तूरचन्द अपना हिस्सा वादीगण मुकुट बिहारी, हंसराज पुत्रान कस्तूरचन्द व प्रतिवादी नं0 1 भैरूलाल पुत्र कस्तूरचन्द के पक्ष में हकत्याग किये जानें बाबत् लिखित सहमति प्रकट की गई है तथा वादी नं0 1 एवं प्रतिवादी नं0 2 द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। वादीगण द्वारा अपनें वाद पत्र में मीना जाति में पुरूष वारिस होते हुए महिलाओं को साम्पत्तिक

अधिकार नहीं होनें के कथन किये है, किन्तु मीना जाति में ऐसा कोई प्रावधान है, उसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे माना जावें कि मीना जाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी नं0 2 लगायत 5 अपनें पुत्रों एवं भाईयों को नियमानुसार हकत्याग कर सकती है तथा वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 उक्त भूमि को ग्रहण करनें के अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 2 लगायत 5 द्वारा विवादित आराजी में से अपनें स्वत्व त्यागनें तथा वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा ग्रहण करनें के परिणामस्वरूप राजकीय हानि होना जाहिर आता है। ऐसी स्थिति में वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क (हकत्याग) वसूल किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी ग्राम भौंरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 484 रकबा 0.13 हे0, ख0नं0 496 रकबा 0.85 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.98 हे0 भूमि, ग्राम ढाबा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 577 रकबा 0.19 हे0, ख0नं0 578 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 579 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 580 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 597 रकबा 0.06 हे0 कुल किता 5 रकबा 0.80 हे0 भूमि एवं ग्राम भौंरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 16 रकबा 0.39 हे0, ख0नं0 173 रकबा 1.49 हे0, ख0नं0 183 रकबा 0.78 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.66 हे0 भूमि में से प्रतिवादी नं0 2 श्रवणी बाई बेवा कस्तूरचन्द, प्रतिवादी नं0 3 कौशल्या बाई पुत्री कस्तूरचन्द, प्रतिवादी नं0 4 रानीबाई पुत्री कस्तूरचन्द व प्रतिवादी नं0 5 सुनीताबाई पुत्री कस्तूरचन्द का नाम डिलीट किया जावें तथा विवादित आराजी ग्राम भौंरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 484 रकबा 0.13 हे0, ख0नं0 496 रकबा 0.85 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.98 हे0 भूमि, ग्राम ढाबा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 577 रकबा 0.19 हे0, ख0नं0 578 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 579 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 580 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 597 रकबा 0.06 हे0 कुल किता 5 रकबा 0.80 हे0 भूमि में वादीगण मुकुट बिहारी, हंसराज पुत्रान कस्तूरचन्द, प्रतिवादी नं0 1 भैरूलाल पुत्र कस्तूरचन्द को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है एवं ग्राम भौंरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 16 रकबा 0.39 हे0, ख0नं0 173 रकबा 1.49 हे0, ख0नं0 183 रकबा 0.78 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.66 हे0 भूमि में 1/2 हिस्से का वादीगण मुकुट बिहारी, हंसराज पुत्रान कस्तूरचन्द, प्रतिवादी नं0 1 भैरूलाल पुत्र कस्तूरचन्द को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 से श्रवणी बाई, कौशल्या बाई, रानीबाई व सुनीता बाई द्वारा त्याग किये गये हिस्से की नियमानुसार हकत्याग की मुद्रांक शुल्क वसूल कर पालना करें। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर अहकाम हुक्म की जारी हुए
	निर्णय आज दिनॉक 19/03/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (कैलाश चन्द शर्मा) उपखण्ड अधिकारी, दीगोद	